...द बइजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प श्री गोविन्दसिंह (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कोर्ट केम्प–ताल

...46/15 प्रा0पत्र

निर्णय दिनांक :– 23.06.2016

अनवान

...श्री टोडरमल पिता छोगा जी भाण्ड निवासी सिरोला तहसील देवगढ
...श्री राम लाल पिता छोगा जी भाण्ड निवासी सिरोला तहसील देवगढ
...श्री नारायण लाल पिता छोगा जी भाण्ड निवासी सिरोला तहसील देवगढ
...श्री शिव लाल पिता छोगा जी भाण्ड निवासी सिरोला तहसील देवगढ
...श्री बाबु लाल पिता छोगा जी भाण्ड निवासी सिरोला तहसील देवगढ
...श्री चम्पा लाल पिता छोगा जी भाण्ड निवासी सिरोला तहसील देवगढ
...श्रीमति धापू बेवा छोगा जी भाण्ड निवासी सिरोला तहसील देवगढ
...श्री शेषा पिता गोमा जी भाण्ड निवासी सिरोला तहसील देवगढ
...श्री भंवर लाल पिता शेष मल जी भाण्ड निवासी सिरोला तहसील देवगढ

———प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

——विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

पत्रावली आज दिनांक 23.06.2016 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत कोर्ट कैम्प ताल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सूचना पत्र तामिल हो शामिल पत्रावली है। पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप मे इस प्रकार है।

प्रार्थीगण ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ का निवासी है। प्रार्थीगण की ग्राम सिरोला की खाता सं0 63 ख0नं0 37/1, 71, 72, 1468/37, 1469/37, 1470/3, 1471/37, 1472/37, 1473/37 कुल किता 9 रकबा 38.07 बीघा भूमि स्थित है एवं ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल के खाता सं0 172 ख0नं0 1335/71 रकबा 8.00 बीघा है जो प्रार्थी रामलाल व भंवर लाल की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण के खाते में प्रार्थीगण की जाति भाट (ढोली) जाति दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के अन्य रेकार्ड दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र में भाण्ड दर्ज है। प्रार्थीगण वास्तव में भाण्ड जाति के है। कादिम पूर्व प्रार्थीगण की वास्तविक जाति ढोली थी परन्तु आजादी के बाद समझ आने के बाद ढोली जाति जातिगत सम्मान सूचक नही होने से भाण्ड जाति के रूप में समाहित हो गई। प्रार्थीगण

...कलेक्टर
...ला–राजसमन्द

वास्तविक रूप से भाण्ड जाति से ही सम्बोन्धित किया जाता है। एवं भाण्ड जाति से ही समझा जाता है ण्ड जाति ढोली जाति से सम्बन्धित है। परन्तु जातिगत रूप से अपमानित होने से वास्तविक जाति भाण्ड प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेज रेकार्ड में जाति भाण्ड दर्ज है एवं दोनो जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी आती है। प्रार्थीगण वर्तमान दर्ज जमाबन्दी में भाट (ढोली) के बजाय भाण्ड शब्द दर्ज करवाना चाहते है प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजो में दर्ज है। प्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर ज्ञात हुआ कि र्थी के खाते में जाति भाट ढोली दर्ज है। जबकि वास्तविक रूप से जाति भाण्ड है। अतः राजस्व रेकार्ड में नी जाति भाट (ढोली) से हटाया जाकर भाण्ड दर्ज कराना चाहता है। अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित राजियात में दर्ज जाति भाट (ढोली) को हटाया जाकर इसकी बजाय जाति भाण्ड दर्ज कराने के आदेश दान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में नायब तहसीलदार देवगढ ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब का अवलोकन किया विपक्षी के जवाब अनुसार प्रार्थीगण भाण्ड दर्ज किये जाने में विपक्षी को कोई ऐतराज नही है। प्रार्थी ने साक्ष्य में कृषक छोगा एवं शेषु के खाते की पास बुक, राशन कार्ड जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां एवं पंजीयन दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत ताल द्वारा प्रार्थीगण के नाम जारी प्रमाण पत्र. दिनांक 23.06. 2016 पेश किये।

हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में प्रार्थीगण की जाति भाण्ड दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ का निवासी है। प्रार्थीगण की ग्राम सिरोला की खाता सं0 63 ख0नं0 37/1, 71, 72, 1468/37, 1469/37, 1470/3, 1471/37, 1472/37, 1473/37 कुल किता 9 रकबा 38.07 बीघा भूमि स्थित है एवं ग्राम सिरोला पटवार हल्का ताल के खाता सं0 172 ख0नं0 1335/71 रकबा 8.00 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में दर्ज जाति भाट (ढोली) को हटाया जाकर प्रार्थीगण की जाति भाण्ड दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कोर्ट कैम्प ताल में मझ में आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ